

सं. 14036/347/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 28/05/2013

सेवा में

श्री एम एस राजपूत

निवासी एच-286 गांव व डाकखाना - उजवा

नई दिल्ली - 110073

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपका दिनांक 23.4.2013 का आवेदन।

महोदय

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 23/04/2013 के उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 30.4.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपकी दिनांक 15.03.2013 की पूर्व शिकायत यू टी पी अनुभाग में प्राप्त नहीं हुई थी। अतः कोई सूचना नहीं दी जा सकती है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के. के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया

8/c


कृ. सुधा  
(श्रीमती एस सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं

अवर सचिव (डी.पी-11)

दूरभाष : 23092856

Issued  
15/4  
6/6.



# The Bharat Nav Nirman Charitable Trust

**A MOVEMENT AGAINST CRIME & CORRUPTION**

REGD. BY : GOVT. OF INDIA & NCT OF DELHI

9891252124, 9013353814, 9250930091 E-mail : thebharatnavnirman13@gmail.com

Ref. T.B.N.N.C.T./205/2013  
सेवा में

2563/RTI/2013  
25/4/13

Date 23/04/2013

माननीय जन सुचना अधिकारी महोदय

माननीय सुरजीत कुमार सिंघाणी महोदय

आर. मेगलथ भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- सूचना अधिनियम अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र।

आवेदक: एम० एस० राधकृष्ण इपाय्यरा दिल्ली प्रदेश।

विषय: दिनांक 15/03/2013 को एम० एस० राधकृष्ण मुख्य संपादन सार के प्रतिम प्रेस के द्वारा आपके कार्यालय को किसान चंद पवार निवासी E-383 ब्लॉक फालोनी ग्राफीयर के साथ राधेश्याम गंगवाल द्वारा धमकाया गया था। एम० एस० राधकृष्ण के परिवार पर पंजाबी भाषा वाले की पुलिस को महोदय कार्यवाही के लिए FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई थी।

दिनांक 15/1/2013 को आपके कार्यालय को किसान चंद पवार के उपर हुए धमकाया करने और किसान चंद पवार की पत्नी तथा 2 लड़कियों के साथ राधेश्याम गंगवाल द्वारा व इसने बच्चों के द्वारा गाली बोलनी शुरू की तब पंजाबी भाषा वाले की पुलिस को लगातार लापरवाही तथा FIR दर्ज न करने के विषय में शिकायत दी गई थी शिकायत के विषय में हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आवेदन पत्र के साथ शिकायत पत्र सलग्न है अवलोकन करें।

1 अभी तक इन शिकायतों पर आपके कार्यालय की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है तथा कार्यवाही किस स्तर पर है इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जायें।

2 माननीय महोदय नया प्रारंभ किसान चंद पवार की बार-बार शिकायत करने के बाद भी FIR पंजाबी भाषा वाले को दर्ज नहीं कराया जाता जबकि राधेश्याम गंगवाल को संपादन करने के लिए पंजाबी भाषा वाले को सिस्टम प्रारंभ में उत्तरवाता है जोकि कानूनन अपराध है और राधेश्याम गंगवाल को अपराध पंजाबी भाषा वाले के अर्थ अधिनियमों के सहयोग से लगातार क्रिये जा रहे हैं जिससे शिकायत लगातार तथा पुलिस दलों से मिलकर किसी भी तरह के संपादन और किसान चंद पवार के बच्चों के उपर लगातार धमकाया करने की कोशिश की तथा चार्ज दी जा रही है फिर भी पंजाबी भाषा वाले के उपर किसी भी तरह का कोई अघात नहीं हो रहा है क्या पुलिस किसान चंद पवार की बच्चों के साथ लगातार धमकाया करने को उत्तरवाता कर रही है पहले तो शिकायत शुरू की अब लगातार धमकाया जा रहा है तथा पुलिस FIR दर्ज करती तथा के परिवार वालों को लगातार धमकाया करने में तैयार है हम आपके कार्यालय से यह सूचना चाहते हैं की बार-बार शिकायतों के देने के बाद भी पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती इस पर हम अपने अर्थ संपादन उद्देश्य देंगे।

3 आपके कार्यालय द्वारा अतीतकालीन शिकायतों पर नया-नया कार्यवाही की गई है तथा दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट की कार्यवाही की प्रमाणित छायाकापी दी जायें।

4 शिकायत कर्ता की शिकायत से संबन्धित तमाम उच्च अधिकारियों द्वारा सभी निर्देशित आदेश जो कार्यवाही के लिये आपके कार्यालय को प्राप्त हुए हैं उन सभी की प्रमाणित छाया कापी दी जायें।

5 माननीय महोदय नये-नये बार-बार एक साथ आधी शिकायत पर शिकायत देता है और पुलिस शिकायत पर कार्यवाही नये नये होती नया किसी घरे' वाली लड़ी घाला का इंतजार करती है। पुलिस अगर पहले ही पुलिस एम्पान ले लेती तो नया साथे लड़ी घाला होती इसका जवाब भी दिया जाये।

6 जब शोधरण के खिलफ शिकायत दी जा चुकी थी तो फिर भी धारों के परिवार को लगातार धानये मारने तथा धारों की लश्करीयों के साथ बलात्कार करने की धमकी लगातार नये दी जा रही है नये शोधरण शोधरण में नेता है इसलिये पुलिस कोई कार्यवाही नही करना चाहती इसका खिलफ में खिलफ दिना पाये।

7 अभी तक आपके कार्यालय से लेकर दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभाग तथा पंजाबी भाग की पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई इस शिकायतों तथा इसी विषय में दी गई सम्पूर्ण शिकायतों पर आज तक नया-नया कार्यवाही की गई है इसका सम्पूर्ण जानकारी सत्यापित छायाकापी के साथ दी जाये।

नोट : माननीय महोदय से आग्रह है की कप्या जानकारी हिन्दी में दी जायें।

आवेदन शुल्क 10 रुपये का पोस्टल आर्डर न०..... सलग्न है।

आवेदक 

एम०एस० राजपूत

उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश

दी भारत नव निर्माण चेरिटेबल ट्रस्ट

पता: 14-286, गांव क इकरवाना जयवा नई दिल्ली - 110  
नियर - राजपूत चौपाल  
मो० 09891252124.....